राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4147 / 2022
प्रेम प्रकाश सैनी (कर्मचारी आई.डी.–आरजेएजे201101031773)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.09.2022

उपस्थित
अपीलार्थी की ओर से : श्री एस. के. सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाती है।
2. अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा स्थानांतरण सीएचसी, बगड़ जिला झुंझुनू से एसडीएच, सालावास जिला जोधपुर में हुआ है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए उसका स्थानांतरण किया गया है। जबकि वह अधिशेष नहीं है। अपीलार्थी को रिक्त पद पर लगाया गया था। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी के केंसर रोग है और उसका ईलाज एम्स अस्पताल, दिल्ली में चल रहा है। वर्तमान में अपीलार्थी का स्थानांतरण जोधपुर किया गया है, जिससे अपीलार्थीया की पत्नी के इलाज में अत्यधिक कठिनाईयां होगी।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। जहां तक अपीलार्थी को अधिशेष माने

जाने का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्सिंग आफीसर के पद पर कार्यरत है। पूर्व अपीलार्थी को सीएचसी बगड़ में मेल नर्स प्रथम के रिक्त पद पर लगाया था। परंतु वर्तमान में अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर है, अतः अपीलार्थी को अधिशेष माने जाने में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। यदि इस स्थानांतरण से उसकी व्यक्तिगत कठिनाइयां बढ़ती है तो वह विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य बनाम एस.एस. कौरव (1995) 3 एस.सी.सी. 270 के निर्णय में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

4. अतः प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी की व्यक्तिगत कठिनाइयों को, जो अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष बताई हैं उन तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।
5. उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने पर बल नहीं देवे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)